उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या : 26/IX/2024–01(02)/2023
देहरादून : दिनांक 22 फरवरी, 2024

अधिसूचना

राज्यपाल मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन्1988) की धारा 65 की उपधारा (2) के खण्ड (ज) के साथ पठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 81 के 'परन्तुक' द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन भारत सरकार द्वारा नियम 11क के माध्यम से 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों के फिटनेस टेस्ट फीस की दरों में किए गए पुनरीक्षण को अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक 01 वर्ष अर्थात् 21 फरवरी, 2025 तक के लिए स्थगित किया जाता है। इस अवधि में फिटनेस फीस की दरें भारत सरकार द्वारा किए गए उक्त पुनरीक्षण के पूर्व यथाप्रचलित रहेंगी, किन्तु यह दरें आगामी 01 वर्ष के उपरान्त भारत सरकार द्वारा किए गए पुनरीक्षण अनुसार ही देय होंगी।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह ह्याँकी)
सचिव।

संख्या : 26 (1)/IX/2024–01(02)/2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा. मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदया के संज्ञानार्थ।
3. आयुक्त, परिवहन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लीथो प्रेस, इण्डस्ट्रीयल एरिया, रामनगर, रूड़की (हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग–4 में मुद्रित कराकर इसकी 200 प्रतियां परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. मीडिया प्रभारी, सचिवालय/मीडिया सेंटर, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड फाईल।

(अरविन्द सिंह ह्याँकी)
सचिव।